निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 85/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामजीलाल पुत्र श्री सीताराम जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री विश्वामित्र मीणा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर।

2 जहूर खान पुत्र बशीर खान जाति मुसलमान निवासी 3611, बापू का टीला, जयपुर, हाल सायपुरा,तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

3 रेवडराम पुत्र चतरूराम

4 कैलाश पुत्र चतरूराम

5 हनुमान सहाय पुत्र सीताराम

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 338/2019 ब उनवानी रामजीलाल बनाम जहूर खान व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री बृजेश पारीक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री कान्त मीणा एवं श्री सुनील शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 21.03.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 338/2019 ब उनवानी रामजीलाल बनाम जहूर खान व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी 2 की ओर से अधिवक्ता श्री कान्त मीणा व श्री सुनील शर्मा उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 05.03.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 को उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में जाते हुये प्रार्थी ने देख लिया । अप्रार्थी संख्या 2 उपखण्ड अधिकारी से मिल कर बाहर आकर प्रार्थी को बाहर खड़े

जिला कलक्टर
जयपुर

देख कर यह धमकी दी कि मैं उक्त वाद का फैसला मेरे हक में करवा कर रहूंगा। इस बाबत अप्रार्थी संख्या 2 ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2021 को प्रस्तुत किया है जिसमें दो चार दिन की तारीख पेशी लेता रहता है और अप्रार्थी यह धमकी देता है कि उपखण्ड अधिकारी जी से मेरी बात हो चुकी है और उन्होंने उक्त वाद का फैसला मेरे हक में करने के लिये कहा है और वह जल्दी ही फैसला मेरे हक में कर देंगे। जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त घटना की सम्पूर्ण जानकारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को दी गई। जिस पर उपखण्ड अधिकारी जी ने प्रार्थी को धमकाते हुये कहा कि आप अप्रार्थी संख्या 2 से राजीनामा कर लो, इनकी राजनैतिक पहुंच बहुत ऊपर तक है, मैं नहीं कर सकता। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 17.02.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हये बिना प्रार्थी की सहमति के ही वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करने के आदेश पारित कर दिये। जो कि न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के पूर्णतः विपरीत आदेश पारित किया गया है । अप्रार्थी संख्या 2 सीमाज्ञान की आड में प्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। जबकि हस्तगत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। जिसमे प्रार्थी द्वारा अपने वाद में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 233 में पुराने कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होते हुये बिना किसी आधार पर उक्त मामले में सीमाज्ञान बाबत आदेश पारित किये है। पक्षकारान के हक हकूकों का न्यायालय में वाद पत्र व दस्तावेजात व साक्ष्य के उपरान्त ही निस्तारण होना न्याय हित में आवश्यक है। इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी महोदय एवं अप्रार्थीगण बिना किसी कानूनी आधार के मामले का निस्तारण बिना किसी साक्ष्य के ही करने पर आमदा है। यदि मामले का अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण नहीं किया जाता है तो प्रार्थी का वाद प्रारम्भिक स्तर पर ही निपटा दिया जायेगा। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ। अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो सकता है ? जब अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति है जो अपने अधिकारों के लिये माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ रहा है तथा प्रार्थी के वाद अधीन भूमि के आलावा अन्य कोई भूमि या अन्य कोई जीविकोपार्जनन का साधन नहीं है। अप्रार्थीगण अपनी गैरकानूनी हरकतों से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर प्रार्थी के दावे को खारिज कर देगें तो वो अपने वैद्यानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। ऐसी स्थिति में न्याय की दृष्टि से प्रार्थी के मुकदमें को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना आवश्यक है। न्याय की यही मंशा है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुये प्रार्थी को ऐसा प्रतीत भी होना आवश्यक है कि उसे न्याय प्राप्त होगा । इसी सन्दर्भ में राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय ने अपने अनेकों निर्णयों में यही प्रतिपादित किया है कि जब परिवादी को न्याय प्राप्त नहीं होने की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में प्ररकण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
जयपुर

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि काश्तकारान में खातेदारी भूमि की सीमा को ले कर विवाद है । प्रार्थी/वादी ने विवादित भूमि पर स्थगन आदेश से पाबन्द करा रखा है जबकि वादी ने 29.11.2019 से तलबी हेतु नोटिस जारी नहीं करवाये है। प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और यह मिथ्या कथनों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरीना कर रहे है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने पर यह पाया गया है कि उक्त प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष मे एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी कर रखा है, इसके बावजूद प्रार्थी द्वारा ही यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इससे प्रार्थी की स्थगन आदेश को जारी रखने एवं प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा स्पष्ट जाहिर होती है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर